न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 121/2023

अनवान : –

1. मनीष कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट सा0 परलिका तहसील नोहर नाबालिग जरीये संरक्षिका व माता जुगेश पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट सा0 परलीका तहसील नोहर।

– सायल

बनाम

1. महावीर पुत्र अमरसिंह जाति जाट सा0 परलीका तहसील नोहर।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र महावीर जाति जाट सा0 परलीका तहसील नोहर।
3. इन्द्रावती पुत्री महावीर जाति जाट सा0 परलीका तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्री महावीर जाति जाट सा0 परलीका तहसील नोहर।
5. सरिता पुत्री महावीर जाति जाट सा0 परलीका तहसील नोहर।
6. धर्मपाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट सा0 परलीका तहसील नोहर।
7. बालुराम पुत्र अमरसिंह जाति जाट सा0 परलीका तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 26/7/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 4/4 की कुल 3.4910 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि प्रतिवादीगण के नाम बतौर हिन्दु कर्ता खानदान दर्ज है उक्त वाद भूमि में सायल का जन्म से हक हिस्सा है लेकिन अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को रहन, बेय करना चाहते है जिससे प्रार्थी के हको का हनन होगा अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की अप्रार्थीगण वाद भूमि को रहन, बैय व मौका व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 4/4 की कुल 3.4910 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गयी कि उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.26 19:08:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि में से अप्रार्थी स0 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि में से सभी वारिसों गैरसायल स0 2 ता 5 का बहिब हक हिस्सा दर्ज कर भूमि दे रखी है सायला अब कोई भी हक हिस्सा है तो व वह गैरसायल स0 2 के हक हिस्सा की भूमि में से प्रार्थीगण की भूमि में कोई हक हिस्सा नही बनता है। सायल अपने पिता गैरसायल स0 2 के हक में से अपना हक हिस्सा ले सकता है अन्य किसी भी गैरसायल की भूमि में हक हिस्सा नही बनता है। गैरसायल स0 2 ने श्रीमान अदालत से दिनांक 07.12.2021 को वाद संख्या 634/21 को वाद संख्या 634/21 के निर्णय से भूमि अपने नाम दर्ज करवाई थी जिसका राजीनामा से गैरसायल स0 2 व अन्य सभी का हकक हिस्सा दर्ज हुआ है अब उत्तरदाता की भूमि में सायल का कोई हिस्सा नही बनता है और न ही स्थगन से पाबंद किया जा सकता है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की वाद भूमि प्रतिवादीगण के नाम बतौर हिन्दु कर्ता खानदान दर्ज है उक्त वाद भूमि में सायल का जन्म से हक हिस्सा है लेकिन अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को रहन, बेय करना चाहते है जिससे प्रार्थी के हको का हनन होगा अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की अप्रार्थीगण वाद भूमि को रहन, बैय व मौका व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की अप्रार्थी स0 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि में से सभी वारिसों गैरसायल स0 2 ता 5 का बहिब हक हिस्सा दर्ज कर भूमि दे रखी है सायला अब कोई भी हक हिस्सा है तो व वह गैरसायल स0 2 के हक हिस्सा की भूमि में से प्रार्थीगण की भूमि में कोई हक हिस्सा नही बनता है। सायल अपने पिता गैरसायल स0 2 के हक में से अपना हक हिस्सा ले सकता है अन्य किसी भी गैरसायल की भूमि में हक हिस्सा नही बनता है। गैरसायल स0 2 ने श्रीमान अदालत से दिनांक 07.12.2021 को वाद संख्या 634/21 को वाद संख्या 634/21 के निर्णय से भूमि अपने नाम दर्ज करवाई थी जिसका राजीनामा से गैरसायल स0 2 व अन्य सभी का हकक हिस्सा दर्ज हुआ है अब उत्तरदाता की भूमि में सायल का कोई हिस्सा नही बनता है और न ही स्थगन से पाबंद किया जा सकता है।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हको का निर्धारिण व खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 4/4 की कुल 3.4910 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है तथा भूमि में अपने हको की घोषणा जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी स0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.26 19:08:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ने अपने नाम दर्ज भूमि में से सभी वारिसों गैरसायल स0 2 ता 5 का बहिब हक हिस्सा दर्ज कर भूमि दे रखी है सायला अब कोई भी हक हिस्सा है तो व वह गैरसायल स0 2 के हक हिस्सा की भूमि में से प्रार्थीगण की भूमि में कोई हक हिस्सा नही बनता है। सायल अपने पिता गैरसायल स0 2 के हक में से अपना हक हिस्सा ले सकता है अन्य किसी भी गैरसायल की भूमि में हक हिस्सा नही बनता है। गैरसायल स0 2 ने श्रीमान अदालत से दिनांक 07.12.2021 को वाद संख्या 634/21 को वाद संख्या 634/21 के निर्णय से भूमि अपने नाम दर्ज करवाई थी जिसका राजीनामा से गैरसायल स0 2 व अन्य सभी का हकक हिस्सा दर्ज हुआ है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त वाद भूमि में से अप्रार्थी स0 1 ने अपने वारिसों के नाम भूमि दर्ज करवा दी है सायल, अप्रार्थी स0 2 के नाम दर्ज भूमि में से अपने हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है अतः सभी पक्षों का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है लेकिन अप्रार्थी स0 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता उचित है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आशिक सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ता 7 को होगी लेकिन अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी स0 2 के विरूद्ध जारी नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित है इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 ता 7 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित नही है लेकिन अप्रार्थी स0 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 4/4 की कुल 3.4910 हैक्ट भूमि में अप्रार्थी स0 2 के नाम दर्ज भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 2 ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है कि अप्रार्थी स0 2 प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय न करे एवं अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 06.06.2024 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती हे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/7/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.26 19:08:56 IST
Reason: SelfAttested